2025/837

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

इन्द्रजित .... बनाम .... तहसीलदार, धोद

किस्म मुकदमा .... प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर. .... मु.नं. 433 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
21/7/25	प्रार्थी इन्द्रजित पुत्र दगडूजी जाति जांगिड़ निवासी ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के अनुसार ग्राम अनोखूं पटवार हल्का अनोखूं तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 103, 104 व 520 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम, इन्द्रचन्द पुत्र दगडूराम दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम इन्द्रजित दगडूजी जांगिड़ पुत्र दगडूजी जांगिड़ है। प्रार्थी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड की प्रस्तुत प्रति में प्रार्थी का सही नाम इन्द्रजित दगडूजी जांगिड़ पुत्र दगडूजी जांगिड़ दर्ज है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम आधार कार्ड के अनुरूप इन्द्रचन्द पुत्र दगडूराम के स्थान पर इन्द्रजित दगडूजी जांगिड़ पुत्र दगडूजी जांगिड़ दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/979 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम अनोखूं पटवार हल्का अनोखूं तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 103, 104 व 520 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम इन्द्रचन्द पुत्र दगडूराम के स्थान पर इन्द्रजित दगडूजी जांगिड़ पुत्र दगडूजी जांगिड़ दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगें। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/979 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.10 13:02:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner